जल संसाधन मंत्रालय

मांग संख्या 102

जल संसाधन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		511.30	210.75	722.05	411.87	188.00	599.87	510.50	198.79	709.29
पूंजी		*38.70*	*16.00*	*54.70*	*38.13*	*29.00*	*67.13*	*43.50*	*16.00*	*59.50*
जोड़		**550.00**	**226.75**	**776.75**	**450.00**	**217.00**	**667.00**	**554.00**	**214.79**	**768.79**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	2.02	11.69	13.71	1.33	11.26	12.59	1.50	11.68	13.18
वृहद तथा मध्यम सिंचाई										
2. केन्द्रीय जल आयोग	2701	22.62	69.74	92.36	20.91	60.06	80.97	25.98	64.82	90.80
	4701	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*22.62*	*69.74*	*92.36*	*20.91*	*60.06*	*80.97*	*25.98*	*64.82*	*90.80*
3. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र	2701	6.62	3.85	10.47	5.47	3.85	9.32	5.45	3.95	9.40
	4701	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*6.62*	*3.85*	*10.47*	*5.47*	*3.85*	*9.32*	*5.45*	*3.95*	*9.40*
4. केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र	2701	3.90	13.31	17.21	1.22	12.14	13.36	4.85	12.79	17.64
	4701	4.70	...	4.70	3.45	...	3.45	...	...	...
	जोड़	*8.60*	*13.31*	*21.91*	*4.67*	*12.14*	*16.81*	*4.85*	*12.79*	*17.64*
5. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	2701	16.50	...	16.50	15.50	...	15.50	20.00	...	20.00
6. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलोजी	2701	2.96	3.27	6.23	2.87	3.27	6.14	3.30	3.68	6.98
7. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2701	2.50	...	2.50	3.49	...	3.49	15.00	...	15.00
8. अन्य	2701	...	1.43	1.43	...	0.67	0.67	...	1.42	1.42
राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान										
9. सतलज-यमुना लिक नहर परियोजना के लिए सहायता	3601	...	8.00	8.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
जोड़ - वृहद तथा मध्यम सिंचाई		**59.80**	**99.60**	**159.40**	**52.91**	**80.99**	**133.90**	**74.58**	**87.66**	**162.24**
लघु सिंचाई										
10. केन्द्रीय भू-गत जल बोर्ड	2702	98.16	45.30	143.46	85.68	45.13	130.81	84.22	46.11	130.33
	4702	3.00	...	3.00	3.68	...	3.68	3.00	...	3.00
	जोड़	*101.16*	*45.30*	*146.46*	*89.36*	*45.13*	*134.49*	*87.22*	*46.11*	*133.33*
11. भू-गत जल योजनाएं	2702	0.35	...	0.35	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45
	3601	7.45	...	7.45	7.45	...	7.45	7.50	...	7.50
	3602	0.20	...	0.20	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
	जोड़	*8.00*	*...*	*8.00*	*7.95*	*...*	*7.95*	*8.00*	*...*	*8.00*
जोड़ - लघु सिंचाई		**109.16**	**45.30**	**154.46**	**97.31**	**45.13**	**142.44**	**95.22**	**46.11**	**141.33**
12. कमान क्षेत्र विकास	2705	4.00	...	4.00	4.32	...	4.32	4.00	...	4.00
	3601	198.00	...	198.00	148.73	...	148.73	198.00	...	198.00
	जोड़	*202.00*	*...*	*202.00*	*153.05*	*...*	*153.05*	*202.00*	*...*	*202.00*
बाढ़ नियंत्रण										
13. केन्द्रीय जल आयोग	2711	17.62	32.07	49.69	20.29	28.68	48.97	17.00	29.36	46.36
	4711	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
	जोड़	*20.62*	*32.07*	*52.69*	*23.29*	*28.68*	*51.97*	*20.00*	*29.36*	*49.36*
14. राज्यों में बाढ़ नियंत्रण कार्य										
14.01 बाढ़रोधी कार्यक्रमों हेतु अनुदान	3601	1.50	...	1.50	0.01	...	0.01	2.00	...	2.00
14.02 गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण अपरदनरोधी कार्यक्रम	3601	23.00	...	23.00	26.95	...	26.95	12.50	...	12.50
	5075	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00	12.50	...	12.50
	जोड़	*26.50*	*...*	*26.50*	*31.96*	*...*	*31.96*	*27.00*	*...*	*27.00*
15. पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में आपातकालीन बाढ़ संरक्षण निर्माण कार्य	7601	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
16. बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएं										
16.01 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	2711	2.30	...	2.30	2.01	...	2.01	2.10	...	2.10
16.02 कोसी और गंडक परियोजनाओं का बाढ़ संरक्षण कार्यों का रखरखाव	2711	4.00	...	4.00	8.50	...	8.50	6.00	...	6.00
16.03 अन्य	2711	0.10	...	0.10	0.35	...	0.35	2.00	...	2.00
	3601	7.50	...	7.50	5.51	...	5.51	7.00	...	7.00
	जोड़	*7.60*	*...*	*7.60*	*5.86*	*...*	*5.86*	*9.00*	*...*	*9.00*
जोड़-बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएं		**13.90**	**...**	**13.90**	**16.37**	**...**	**16.37**	**17.10**	**...**	**17.10**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
17. पड़ोसी देशों से सहयोग										
17.01 बांग्लादेश और पड़ोसी देशों के साथ साझी नदियों पर अवलोकन	2711	4.00	...	4.00	0.75	...	0.75	2.00	...	2.00
17.02 कोसी उच्च बांध परियोजना का सर्वेक्षण और अन्वेषण	2711	1.00	...	1.00	0.38	...	0.38	1.00	...	1.00
17.03 पंचेश्वर बहुप्रयोजनीय परियोजनाएं	2711	5.00	...	5.00	4.65	...	4.65	3.60	...	3.60
जोड़-पड़ोसी देशों के साथ सहयोग		**10.00**	**...**	**10.00**	**5.78**	**...**	**5.78**	**6.60**	**...**	**6.60**
18. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं के अधीन प्रावधान										
18.01 ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सहायता अनुदान	2552	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
18.02 ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण	2552	10.00	...	10.00	7.50	...	7.50	10.00	...	10.00
	6552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*10.00*	*...*	*10.00*	*7.50*	*...*	*7.50*	*10.00*	*...*	*10.00*
18.03 पगलदिया बांध परियोजना	2552	45.00	...	45.00	12.50	...	12.50	45.00	...	45.00
18.04 हरेंज जल निकासी परियोजना	2552	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
18.05 असम स्थित माजुली द्वीप, दिहांग परियोजना के लिए नई योजनाएं आदि	2552	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
जोड़-पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लाभार्थ स्कीमों के तहत प्रावधान		**80.00**	**...**	**80.00**	**45.00**	**...**	**45.00**	**85.00**	**...**	**85.00**
जोड़-बाढ़ नियंत्रण		**151.02**	**35.07**	**186.09**	**122.40**	**31.68**	**154.08**	**155.70**	**32.36**	**188.06**
अन्य परिवहन सेवाएं										
19. फरक्का बैराज परियोजना	3075	...	22.09	22.09	...	21.94	21.94	...	23.98	23.98
	5075	25.00	-1.00	24.00	23.00	-1.00	22.00	25.00	-1.00	24.00
	जोड़	*25.00*	*21.09*	*46.09*	*23.00*	*20.94*	*43.94*	*25.00*	*22.98*	*47.98*
20. सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण										
20.1 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	6701	...	14.00	14.00	...	27.00	27.00	...	14.00	14.00
21. सरकारी उद्यमों/वित्तीय संस्थानों में निवेश										
21.01 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	6701	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
21.02 वाप्कोस (बोनस शेयरों का निर्माण)	4701	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सरकारी उद्यमों/वित्तीय संस्थाओं में निवेश		**1.00**	**...**	**1.00**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
कुल जोड़		***550.00***	***226.75***	***776.75***	***450.00***	***217.00***	***667.00***	***554.00***	***214.79***	***768.79***
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
22.01 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	12701	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
22.02 वापकोस (बोनस शेयरों का निर्गम)	12701	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*1.00*	*...*	*1.00*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय आयोजना										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	2.02	...	2.02	1.33	...	1.33	1.50	...	1.50
2. वृहद तथा मध्यम सिंचाई	12701	60.80	...	60.80	52.91	...	52.91	74.58	...	74.58
3. लघु सिंचाई	12702	109.16	...	109.16	97.31	...	97.31	95.22	...	95.22
4. कमान क्षेत्र विकास	12705	202.00	...	202.00	153.05	...	153.05	202.00	...	202.00
5. बाढ़ नियंत्रण	12711	71.02	...	71.02	77.40	...	77.40	70.70	...	70.70
6. अन्य परिवहन सेवाएं	13075	25.00	...	25.00	23.00	...	23.00	25.00	...	25.00
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	80.00	...	80.00	45.00	...	45.00	85.00	...	85.00
	जोड़	*550.00*	*...*	*550.00*	*450.00*	*...*	*450.00*	*554.00*	*...*	*554.00*

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएंः** आयोजना-भिन्न प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है। यह आयोजना परिव्यय "सूचना प्रौद्योगिकी" तथा "जल विज्ञान परियोजना" के प्रोजेक्ट सचिवालय इकाई (पी.एस.यू.) के लिए है, जो कि एक विदेशी सहायता प्राप्त और "जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण" की योजना है।

वृहद और मध्यम सिंचाई

2. **केन्द्रीय जल आयोगः** संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से देश भर में सिंचाई, नौचालन और बाढ़ नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण तथा उपयोग हेतु स्कीमें शुरु करने, समन्वित करने तथा उन्हें और आगे बढ़ाने के बारे में सलाह देने का उत्तरदायित्व आयोग को सौंपा गया है। देश में जल संसाधनों के विकास और उपयोग के क्षेत्र में प्रमुख तकनीकी संगठन होने के कारण यह बहुउद्देशीय नदी घाटी तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में आयोजना, अन्वेषण, डिजाइन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय जल आयोग के लिए परिव्यय 25.98 करोड़ रुपए है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए 1.80 करोड़ रुपए शामिल हैं।

3. **केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्रः** केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र (सी.एस.एम.आर.एस.) जो देश का प्रमुख संगठन है, क्षेत्र समन्वेषण, प्रयोगशाला-जांच, भू-गर्भ यांत्रिकी के विषय में बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान, ठोस प्रौद्योगिकी और नदी घाटी परियोजनाओं से संबद्ध निर्माण सामग्री के क्षेत्र में काम कर रहा है।

4. **केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशालाः** 1916 में स्थापित की गई केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला (सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस.) नदी इंजीनियरी, पोत गतिकी, द्रवचालित मशीनरी, स्तरित प्रवाहों, नींव तथा संरचना, भू-तकनीकों, भूकम्प इंजीनियरी, गणितीय प्रतिरूपण और यंत्रीकरण के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। यह विश्व में अपने तरह का एक विशालतम संस्थान और देश का प्रमुख इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान है।

5. **राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणः** राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिशेष जल के अन्तर-बेसिन अन्तरणों की उपयुक्तता के लिए विस्तृत समीक्षा और अन्वेषण करने का काम सौंपा गया है। भारत में प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने के तौर-तरीकों के बारे में परामर्श तथा सुझाव देने हेतु गठित कार्यदल के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

6. **राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थानः** राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जल विज्ञान के क्षेत्र में मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करता है।

7. **अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमः** जल संसाधन से संबंधित अनुसंधान स्कीमों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों और अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान दिया जाता है। इसमें "स्वच्छ जल वर्ष" मनाने के लिए प्रावधान भी शामिल है।

8. **वृहद और मध्यम सिंचाई की अन्य स्कीमें:** इनमें सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के लिए व्यवस्था शामिल है। इन संगठनों के संबंध में व्यय की वसूली भागीदार राज्यों से की जाती है।

9. **सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना के लिए सहायताः** बजट अनुमान 2003-2004 में इस परियोजना के लिए 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

लघु सिंचाई

10. **केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्डः** केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, देश में जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को हाथ में लेने तथा भूमिगत जल वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए समन्वेषणात्मक ड्रिलिंग करने और भूमिगत जल विकास योजना तैयार करने में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए उत्तरदायी है। इसमें केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण, जिसकी स्थापना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन की गई, के लिए भी प्रावधान शामिल है।

11. **भूतल जल स्कीमः** "लघु सिंचाई सांख्यिकी की गणना को युक्तियुक्त बनाने" वाली योजनाओं हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान निर्गत करने के लिए व्यवस्था की गई है।

12. **कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमः** सरकार द्वारा सन् 1974-75 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किए गए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग करना तथा सृजित सिंचाई क्षमता तथा अन्ततः उपयोग की गई क्षमता के बीच के अन्तर को भी कम करना है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वित्तपोषण तीन स्रोतों यथा, केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकार के अपने संसाधनों और संस्थागत उधारों से किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को फार्म विकास कार्य, बाड़ाबंदी, प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययन और जल-जमाव वाले क्षेत्रों के सुधार आदि के लिए तैयारी, योजना बनाने, क्रियान्वयन तथा अनुवीक्षण करने हेतु अनुदान दिया जाता है। आई.आर.डी.पी. के ढांचे के आधार पर भूमि समतलीकरण एवं आकृति बनाने, छिड़काव तथा ड्रिप सिंचाई के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण पर आर्थिक सहायता के लिए समतुल्य आधार पर अनुदान दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्यतया वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाती है। तथापि, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा सिक्किम के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं अथवा 250 एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र के लिए लघु सिंचाई योजनाओं के समूह को भी सहायता दी जा सकती है। इसमें अनुसंधान तथा विकास के लिए प्रावधान भी शामिल है। इस कार्यक्रम के लिए 2003-2004 में 202.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

बाढ़ नियंत्रण

13. **केन्द्रीय जल आयोगः** इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी जलवाह क्षेत्रों में केन्द्रीय जल आयोग के अधीन स्थित महत्वपूर्ण स्थलों पर बाढ़ संबंधी पूर्व सूचना प्रदान करने और तत्संबंधी चेतावनी देने वाले केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण और आधुनिकीकरण के लिए व्यवस्था शामिल है। बाढ़ संबंधी पूर्वसूचना देने का जो कार्य चौथी योजना अवधि के दौरान गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, तिस्ता नदियों के बाढ़ प्रवण बेसिनों और उड़ीसा के तटीय नदियों में शुरू किया गया था उपयोगी सिद्ध होने के कारण उसे गोदावरी, दामोदर, कृष्णा, माही तथा साबरमती नदियों के जलवाहक क्षेत्रों में भी शुरू कर दिया गया है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपने जल विषयक मौसम विज्ञान केन्द्रों तथा वायरलेस केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए बाढ़ संबंधी जो पूर्वसूचना भेजी जाती है वह बाढ़ का प्रबंध करने और बाढ़ से होने वाली क्षति को कम से कम करने में स्थानीय प्राधिकारियों के लिए बहुत सहायक होती है।

आयोग को भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तरफ से विशिष्ट योजनाओं को शुरू और कार्यान्वित करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय जल आयोग के लिए 20.00 करोड़ रुपए है।

14. **राज्यों में बाढ़ नियंत्रण कार्य**

14.01 **बाढ़ रोधक कार्यक्रमः** इस मद के अंतर्गत, राज्य सरकारों को उत्तरी बिहार और अन्य राज्यो में बाढ़ रोधक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमान में 2.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

14.02 **गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण अपरदन-रोधी कार्यः** 25.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण अपरदन-रोधी कार्यों के लिए है।

15. **पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आपातकालीन बाढ़ संरक्षण कार्यः** आयोजना-भिन्न व्यवस्था देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के राज्यों में बाढ़ से बचाव करने के तात्कालिक निर्माण कार्यों के लिए विशेष ऋण सहायता के संबंध में है। 2002-2003 के बजट अनुमान में 3.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

16. **बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएंः** इसमें गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो कि गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण का मास्टर प्लान तैयार करने के कार्य और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में मूलभूत अनुसंधान कार्यों में लगा हुआ है, के लिए व्यवस्था शामिल है। इसमें कोशी एवं गंडक परियोजनाओं के बाढ़ बचाव निर्माण कार्यों का रख-रखाव; लालबकेया कमला, बागमती और खांडो नदियों पर तटबंधों के विस्तार; गंगा बेसिन राज्यों के छोड़कर तटीय महत्वपूर्ण क्षरण-रोधी कार्यों; तथा मोकामा टाल क्षेत्र सहित देश में जल-निकासी के सुधार शामिल हैं। बाढ़-नियंत्रण की अन्य योजनाओं के लिए परिव्यय 17.10 करोड़ रुपए है।

17. **पड़ोसी देशों के साथ सहयोगः** यह व्यवस्था पडोसी देशों अर्थात् नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ साझी नदियों पर योजनाओं/परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के लिए है।

सं.102/जल संसाधन मंत्रालय

18. **पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लाभार्थ योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान**

18.01 **ब्रह्मपुत्र बोर्डः** बहुप्रयोजनी लाभों के लिए ब्रह्मपुत्र बेसिन के जल संसाधन विकास को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर योजना तैयार करने में मदद देने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करने के अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र एवं बारक घाटियों में बाढ़ नियंत्रण तथा कटाव को रोकने और जल निकासी का सुधार करने के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने के विशिष्ट उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई थी। बोर्ड का समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता-अनुदान के रूप में वहन किया जाता है। ब.अ. 2003-04 में 20.00 करोड़ रुपए परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

18.02 **ब्रह्मपुत्र और बरक घाटी में बाढ़ नियंत्रणः** वर्ष 2003-2004 के दौरान ब्रह्मपुत्र और बरक घाटी में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। मद अनुदान के रूप में होगी। वर्ष 2003-2004 में इस प्रयोजनार्थ 20.00 करोड़ रुपए परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

18.03 **पगलदिया बांध परियोजनाः** यह परियोजना ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। यह परियोजना असम राज्य की बाढ़ समस्याओं का शमन करेगी तथा कुछ विद्युत का भी सृजन करेगी। वर्ष 2003-04 में इस परियोजना के लिए 45.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

18.04 **हरेंज जलनिकासी परियोजनाः** यह परियोजना ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ब.अ. 2003-04 में 5.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

18.05 **असम स्थित माजुली द्वीप, दिहांग परियोजना के लिए नयी योजनाएं आदिः** युनेस्को ने हाल में माजुली द्वीप को विश्व विरासत के रूप में घोषित किया है। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के संरक्षण के लिए निर्माण कार्य करने हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। वर्ष 2003-04 के दौरान 5.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

परिवहन क्षेत्र

19. **फरक्का बराज परियोजनाः** फरक्का बराज परियोजना जो अनिवार्यतः परिवहन क्षेत्र की परियोजना है, का क्रियान्वयन इस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। गंगा नदी पर फरक्का पर मुख्य बराज और जंगीपुर के पास भागीरथी पर एक बराज, रेल एवं सड़क पुल और बराज से निकाली गई तथा भागीरथी में गिरती हुई पृष्ठ नहर के कार्य 1975 में पूर्ण कर लिए गए थे। फरक्का में नौवहन लॉक को 1987 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। फरक्का पर नौवहन लॉक का कार्य पूरा हो जाने पर, हल्दिया से फरक्का तक और पटना से इलाहाबाद तक का अन्तर्देशीय नौवहन मार्ग फिर से चालू कर दिया गया है।

20. **सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण**

20.1 **राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेडः** 14.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को आयोजना-भिन्न ऋण के लिए है ताकि वह अपने निष्क्रिय इकाइयों के कर्मचारियों को वेतन, मजदूरी का भुगतान करने तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत मामलों को निपटाने में सक्षम हो सके।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1996-97 से ऐसी कार्याधीन/बहुद्देशीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए है, जिनमें काफी प्रगति हो चुकी है तथा जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से परे हैं। वर्ष 2003-04 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदान सं.35 के अंतर्गत 280.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा इस अनुदान से निधियां जल संसाधन मंत्रालय की अनुशंसाओं के आधार पर जारी की जाती हैं।

Website : http://indiabudget.nic.in